

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-212/94)(लिंक नं. 4263)/अलेसे-11/96

दिनांक :- 25-4-18

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.3(ख) (एच-346/2011) अलेसे-11/ 2310 दिनांक 23.01.2018 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश क्रमांक 3296-98 दिनांक 12.12.2017 की पुष्टि की गई थी, जिसके द्वारा श्री हरिमोहन मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र करौली को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी (करौली) में खण्डीय लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया था। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के संशोधित आदेश क्रमांक 118-23 दिनांक 15.01.2018 के द्वारा श्री हरिमोहन मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को अपने पूर्व पदस्थापित कार्यालय में पूर्वानुसार कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी जानकारी तत्समय इस विभाग को नहीं थी। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के संशोधित आदेश क्रमांक 118-23 दिनांक 15.01.2018 की पुष्टि करते हुए निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 2310 दिनांक 23.01.2018 को एतद्वारा प्रत्याहारित किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (ए-212/94)(लिंक नं. 4263)/अलेसे-11/96

दिनांक :- 25-4-18

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली को उनके आदेश क्रमांक 118-23 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र करौली।
4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन सिटी।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन सिटी (करौली)।
6. अतिरिक्त निदेशक, निजी सचिव।
7. श्री अजय कुमार सिंघल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन सिटी को पालनार्थ।
8. श्री हरिमोहन मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र करौली को पालनार्थ।
9. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
10. डीपीसी शाखा/ एसीआर शाखा/ पदस्थापन सीट/ वरिष्ठता सीट/ गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)